

विज्ञप्ति

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित, जो अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायक हैं, हेतु कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा (हिन्दी/अंग्रेजी)

शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(1) कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 21.06.2017 के अनुसार राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 के अंतर्गत प्रक्रियात्मक अपेक्षा में 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिये पात्र बनाने हेतु विहित प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा/कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा (हिन्दी/अंग्रेजी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। भाषा विभाग के परिपत्र दिनांक 03.07.2015 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.08.2015 के द्वारा टंकण परीक्षा का आयोजन भाषा विभाग द्वारा केवल जयपुर में निम्नानुसार किया जा रहा था:-

क्रसं	आवेदन प्राप्त होने की अवधि	माह, जिसमें परीक्षा आयोजित होगी
1	1 अगस्त से 30 नवम्बर तक	जनवरी
2	1 दिसम्बर से 31 मार्च	मई
3	1 अप्रैल से 31 जुलाई	सितम्बर

परिपत्रानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों की असुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त टंकण परीक्षा केवल कम्प्यूटर पर ही जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा गठित "परीक्षा आयोजना समिति" द्वारा ही ली जावेगी। जिला स्तर पर परीक्षा का आयोजन समिति का गठन निम्नानुसार किया जावेगा:-

क्रसं	अधिकारी	विवरण
1	अतिरिक्त जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	सदस्य
3	उपखंड अधिकारी, जिला मुख्यालय	सदस्य

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये निर्धारित समय सीमा 10 मिनट में हिन्दी टाईपिंग के लिये 240 न्यूनतम शब्द तथा अंग्रेजी टाईपिंग के लिये 280 न्यूनतम शुद्ध शब्द टंकित करना आवश्यक है। हिन्दी टंकण हेतु 24 शब्द प्रति मिनिट तथा अंग्रेजी टंकण में 28 शब्द प्रति मिनिट की न्यूनतम गति निर्धारित है। अशुद्ध टंकित शब्द को टंकण गति सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अतः सभी ऐसे कनिष्ठ सहायक, जो अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त हैं और जिन्होंने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, के लिये टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर ही लिये जाने का प्रावधान किया गया है अर्थात् टाईपराईटर पर टंकण परीक्षा आयोजित नहीं होगी। कम्प्यूटर टंकण परीक्षा हेतु राशि रूपये 500/- निर्धारित किया गया है, जो परीक्षार्थी द्वारा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक "जिला कलक्टर, बीकानेर" के नाम से देय होगा, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 05 जुलाई 2010 से पूर्व के नियुक्ति प्राप्त ऐसे कार्मिक, जिन्होंने नियुक्ति से 03 वर्ष की अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, को टाईपराईटर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने पर जिन्होंने पूर्व में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राज, जयपुर को टाईपराईटर पर टंकण परीक्षा हेतु शुल्क 150/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक दिया था, वे कम्प्यूटर पर टंकण हेतु निर्धारित शुल्क (500-150=350-00) की अन्तर राशि 350/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक "जिला कलक्टर, बीकानेर" के नाम से बनवायें।

६०
जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक-सीबी/स्था/मृ.आ./कम्प्यूटर टंकण परीक्षा/2017/10260105 दिनांक 8/11/17
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी.....जिला-बीकानेर
2. सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी, बीकानेर को स्थानीय समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु।
3.

५५
जिला कलक्टर, बीकानेर